

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक— BRRDA(HQ)-MMGSY-128/18 57

/पटना, दिनांक— 14.1.22

प्रेषक,

संजय दूबे, भा0प्र0से0
विशेष सचिव,
ग्रामीण कार्य विभाग।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी),
बिहार, पटना।

विषय : मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजनान्तर्गत योजना शीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष-0104 के अन्तर्गत कार्य प्रमंडल, **खड़गपुर-तारापुर** के अधीनस्थ वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए स्वीकृत पथ L031 to Bishunpur, Length-1.50, प्राक्कलित राशि ₹ 112.400 लाख रुपये मात्र की प्राप्त प्रशासनिक स्वीकृति को Drop (रद्द) करने के संबंध में।

प्रसंग :—इस कार्यालय का पत्रांक—BRRDA(HQ)-MMGSY-125/18-113, दिनांक—29.01.2020।

महाशय,

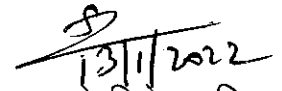
उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना (अनुसूचित जाति) अन्तर्गत कार्य प्रमंडल, **खड़गपुर-तारापुर** के अधीन वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए L031 to Bishunpur पथ की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है।

अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, **मुंगेर** एवं कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, **खड़गपुर-तारापुर** से प्राप्त सम्मिलित प्रतिवेदन द्वारा विषयांकित पथ अन्य मद से निर्मित हो जाने/ लक्षित बसावट को सम्पर्कता प्राप्त हो जाने के कारण विषयांकित पथ को Drop (रद्द) करने का अनुरोध किया गया है।

उपर्युक्त आलोक में प्रासंगिक पत्र के क्रमांक-7 पर अंकित पथ L031 to Bishunpur, Length-1.50, प्राक्कलित राशि ₹ 112.400 लाख रुपये मात्र की प्राप्त प्रशासनिक स्वीकृति को Drop (रद्द) की जाती है एवं साथ ही कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, **खड़गपुर-तारापुर** को निदेशित किया जाता है कि इस पथ के DPR तैयार कराए जाने में किये गये निष्फल व्यय की वसूली संबंधित DPR परामर्शी से करते हुए इसकी सूचना मुख्यालय को भी दी जाए।

प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार माननीय विभागीय मंत्री महोदय का अनुमोदन संचिका सं0—BRRDA(HQ)-MMGSY-128/18 के पृ0-33/टि0 पर प्राप्त है।

विश्वासभाजन



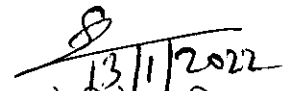
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापक: BRRDA(HQ)-MMGSY-128/18 57

/पटना, दिनांक— 14.1.22

प्रतिलिपि:— महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (आय-व्यय शाखा)/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग/ संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/ संबंधित उप विकास आयुक्त/ अभियंता प्रमुख, पटना/अवर सचिव, बजट शाखा/मुख्य अभियंता-2, पटना/मुख्य अभियंता-4, पटना/संबंधित अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल/संबंधित कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित तथा IT Manager, ग्रामीण कार्य विभाग को विभाग के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।





सरकार के विशेष सचिव